शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–बी–2–2741/दस–2010–आर–2/2010

प्रेषक,

लहरी यादव,
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3– प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 01 अक्टूबर, 2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–2011 के प्राप्ति एवं व्यय के ऑकड़ों का लेखा मिलान ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या–टी. एम.–II/ग्रुप–4/लेखामिलान/एफ.–18/904, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रकिया के कम में **माह जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2010 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 15 नवम्बर, 2010 से 03 दिसम्बर, 2010 तक** की अवधि निर्धारित की गयी है।

2– अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे **वित्तीय वर्ष 2010–2011 के द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2010) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य** संलग्न निर्धारित कार्यकम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखा मिलान दल, लेखा मिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.–4) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

3– जिन नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराया जायेगा तो उसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगें।

/2

4– लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य **दिनांक 03–12–2010** को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रकिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2– 2741 (1)/दस–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र संख्या टी.एम.–II/ग्रुप–4/लेखामिलान/एफ.–18/904,दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के संदर्भ में।
2. उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)– द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।
7. प्रभारी निकनेट सेल, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेब साईट में प्रदर्शित किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2–2741/दस–2010–आर–2/2009, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010

वित्तीय वर्ष 2010–2011 से सम्बन्धित माह सितम्बर, 2010 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

कमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1.	आबकारी	15.11.2010
2.	आवास	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/ खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4.	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5.	ऊर्जा	
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7.	रेशम विभाग	16.11.2010
8.	कृषि विभाग	
9.	परती भूमि विकास	
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	18.11.2010
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघु सिंचाई	
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17.	पंचायती राज विभाग	
18.	पशुधन	
19.	दुग्ध विकास	19.11.2010
20.	मत्स्य	
21.	सहकारिता	
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति	
23.	खाद्य एवं रसद	
24.	खेल एवं युवा कल्याण	
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	22.11.2010
26.	गृह (कारागार)	
27.	गृह (पुलिस)	
28.	नागरिक सुरक्षा	
29.	राजनीतिक पेंशन	
30.	गृह (गोपन)	
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	23.11.2010
32.	परिवार कल्याण विभाग	
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35.	होम्योपैथी चिकित्सा विभाग	
36.	नगर विकास	

37.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	24.11.2010
38.	नागरिक उड्डयन	
39.	भाषा	
40.	नियोजन	
41.	निर्वाचन	
42.	न्याय	
43.	परिवहन	25.11.2010
44.	पर्यटन	
45.	पर्यावरण	
46.	प्रशासनिक सुधार	
47.	प्राविधिक शिक्षा	
48.	अल्पसं ख्यक कल्याण	
49.	महिला एवं बाल विकास	26.11.2010
50.	राजस्व	
51.	सहायता एवं पुर्नवास	
52.	राष्ट्रीय एकीकरण	
53.	लोक निर्माण	
54.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
55.	वन	29.11.2010
56.	वित्त विभाग	
57.	विधान परिषद सचिवालय	
58.	विधान सभा सचिवालय	
59.	विधायी एवं संसदीय कार्य	
60.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	
61.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	30.11.2010
62.	बेसिक शिक्षा	
63.	माध्यमिक शिक्षा	
64.	उच्च शिक्षा	
65.	श्रम	
66.	सचिवालय प्रशासन	
67.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
68.	विकलांग कल्याण	01.12.2010
69.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
70.	समाज कल्याण	
71.	जनजाति कल्याण	
72.	सतर्कता विभाग	
73.	सामान्य प्रशासन	
74.	सार्वजनिक उद्यम	

75.	सूचना	02.12.2010
76.	सैनिक कल्याण	
77.	संस्थागत वित्त	
78.	स्टाम्प एवं पंजीयन	
79.	व्यापार कर	
80.	सांस्कृतिक कार्य	
81.	सिंचाई	
	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	03.12.2010